राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./3570/2006/धौलपुर

1. मु0विमलादेवी बेवा गंगासिंह (नाम तर्क)
2. मु0नारायणी पुत्री गंगासिंह जाति ठाकुर निवासी बरेठा हाल अनुपपुरा पोस्ट तेहरा जिला आगरा उत्तर प्रदेश
3. मु0गीता पुत्री गंगासिंह जाति ठाकुर निवासी पोता का नंगला ऐटा स्टेशन केपास ऐटा
4. मु0शिवकुमारी उर्फ सुमन पुत्री गंगासिंह ठाकुर निवासी गणेशपुरा मुरैना मध्यप्रदेश
5. मु0राजवती उर्फ सपना पुत्री गंगासिंह ठाकुर निवासी मौहल्ला पटपरा धौलपुर
6. मु0सीमा पुत्री गंगासिंह ठाकुर निवासी बरेठा हाल नगरपालिका धौलपुर

....अपीलांट्स

बनाम

1. पोहपसिंह पुत्र तुरसनपाल मृतक जरिये वारिसान–
   - 1/1. राजवीरसिंह पुत्र पोहपसिंह
   - 1/2. श्यामवीरसिंह पुत्र पोहपसिंह
   - 1/3. बृजेश कुमार पुत्र पोहपसिंह
   - 1/4. श्री कृष्ण पुत्र पोहपसिंह
   - 1/5. कमल पुत्री पोहपसिंह
   - 1/6. गुडडी पुत्री पोहपसिंह
   - 1/7. कानसिंह पुत्र पोहपसिंह मृतक जरिये वारिसान
     - 1/7/1. रणीया बेग पत्नी कानसिंह
     - 1/7/2. अनूप पुत्र कानसिंह
     - 1/7/3. श्याम पुत्र कानसिंह
     - 1/7/4. विश्वनाथ पुत्र कानसिंह
     - 1/7/5. प्रीति पुत्री कानसिंह

     समस्त जाति ठाकुर निवासी बरेठा उपतहसील मनियां तहसील व जिला धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री रामनिवास जाट, सदस्य

श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–

श्री मदन लाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट

श्री दूनीचन्द डिढारिया, अभिभाषक रेस्पो0

दिनांक : 1.11.2022

निर्णय

यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा अपील संख्या 76/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–4–2006 के विरूद्ध धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पो.सं.1 व उसकी माता रामश्री ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के न्यायालय में धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपीलांट्स व राज्य सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर 6 तनकियात कायम की एवं उन पर पक्षकारान की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य दर्ज की एवं उभय पक्ष की बहस सुनने के उपरांत निर्णय व डिक्री दिनांक 24–3–2003 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध रेस्पो.1 ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की, जो आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–4–2006 द्वारा स्वीकार की जाकर वादी का वाद डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स का बहस में कथन है कि वादीगण/रेस्पो.सं. 1 का वाद भ्रमात्मक था। वादीगण/रेस्पो.सं.1 अपने वाद को साक्ष्य से साबित करने में असफल रहे थे। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने वाद व साक्ष्य को समझे बिना विचारण न्यायालय के स्वविवेकीय निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर अपने क्षेत्राधिकारकरता का दुरूपयोग किया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार वादीगण के पूर्व पुरूष तुरसनपाल द्वारा मृतक सूरजभान व गयाराम से विवादित भूमि साबिक आराजी खसरा नंबर 1280/2 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा को संवत् 2017 में शिकमी काश्त पर लिया था, जो असत्य है। प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रदर्श–पी में साबिक आराजी खसरा नंबर 1280/2 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा सूरजभान व गयाराम की खुदकाश्त में अंकित है तथा इसी खसरा के कालम संख्या 41 में धारा 13 के तहत खातेदार अंकित करने का नोट लगा हुआ है। जमाबन्दी संवत् 2019–23 प्रदर्श–पी 3 एवं जमाबन्दी संवत् 2033 के अनुसार

भी सूरजभान व गयाराम बतौर खातेदार के रूप में अंकित है तथा तुरसनपाल संवत् 2017 में शिकमी के रूप में अंकित है किन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 (1) (एए) के अनुसार वादीगण को 31–12–69 को अर्थात संवत् 2026 में शिकमी काश्तकार होना आवश्यक था व वादीगण द्वारा संवत् 2026 का कोई राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया। साथ ही प्रतिवादीगण/अपीलांट्स के पूर्व पुरूष को धारा 13 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे जिसका राजस्व रेकार्ड में अंकन भी संवत् 2019 में आ चुका था और वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के कथनों में भी विरोधाभास होने के कारण व साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 45 के अनुसार शिकमी का अनुबन्ध हमेशा–हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता के आधार पर वादीगण का वाद न तो संधारण योग्य था तथा ना ही वाद कारण उत्पन्न हुआ था। परीक्षण न्यायालय ने तनकी नंबर 1 वादीगण के विरूद्ध साक्ष्य, राजस्व रेकार्ड व विधिक प्रावधानों के अनुसार सही रूप से निर्णित की थी लेकिन राजस्व अपील प्राधिकारी ने तनकी नंबर 1 को निर्णित करते समय यह अंकित कर कि वादीगण/अपीलांट्स एवं गवाहान से भी विवादित आराजी काश्त पर लेना जाहिर होता है, जाहिर होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 (1) (एए) के अनुसार दिनांक 31–12–69 यानि संवत् 2026 के राजस्व रेकार्ड में तुरसनपाल के शिकमी काश्तकार दर्ज नहीं होते हुए दर्ज होना मानकर व वादीगण/रेस्पो0 द्वारा काबिज काश्त साबित नहीं किये जाने के बावजूद कयास के आधार पर कब्जा काश्त साबित मानकर तनकी नंबर 1 निर्णित करने में त्रुटि की है। तनकी नंबर 2 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था लेकिन वादीगण तनकी नंबर 2 को सिद्ध नहीं कर पाये। साबिक आराजी को संवत् 2017 से मृतक तुरसनपाल द्वारा एवं उसके देहान्त के बाद रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा बिना किसी हस्तक्षेप के काश्त करते रहने का कहा गया है तथा इस तनकी के समर्थन में गवाह पी.डब्ल्यू–2 व पी.डब्ल्यू–3 के बयान करवाये गये। उक्त वादीगण के दोनों ही गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। पी.डब्लू–2 ने अपने बयानों में कथन किया है कि तुरसनपाल ने जमीन मोल खरीदी थी वहीं पी.डब्लू–3 ने अपने बयानों में कथन किया है कि तुसरनपाल ने गयाराम से जमीन ली थी, बेची होगी या गुपचुप दे दी होगी पता नहीं। इस प्रकार वादी/रेस्पो.सं.1 अपने प्रतिकूल कब्जे के तथ्य को साबित नहीं कर पाया। इसके बावजूद अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के कयास के आधार

पर वादी/रेस्पो.सं.1 का संवत् 2017 से कब्जा बदस्तूर मानकर कब्जा मुखालफाना के आधार पर रेस्पो.सं.1 को खातेदारी अधिकार दिये गये है जो विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। उनका यह भी तर्क है कि वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होने से धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पोषणीय नहीं था। वादी/रेस्पो. का वाद साबित नहीं होने से वे प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 में यह स्पष्ट निर्णित किया था कि वादी विवादित आराजी में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है इसलिये स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष भी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं लेकिन अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तनकी संख्या 3 पर अपना कोई निर्णय पारित नहीं किया। इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री तनकी नंबर 3 पर अधूरा है व उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है। तनकी संख्या 4 पर विचारण न्यायालय ने विस्तृत निर्णय पारित किया था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तनकी संख्या 4 पर कोई विवेचन नहीं किया। इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि वादीगण के वाद के कथन में विभिन्नता होने के कारण वाद काबिल डिक्री नहीं था। वादीगण/रेस्पो0 ने वाद में कॉज ऑफ एक्शन नहीं दर्शाया तथा ना ही अपना कब्जा काश्त राजस्व रेकार्ड व साक्ष्य से लगातार होना ही साबित किया है। ऐसी स्थिति में वाद दायरी के समय वादीगण का कब्जा नहीं होने से कब्जे रहित दादरसी के वाद डिक्री नहीं किया जा सकता। किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्लीडिंग्स् व उपलब्ध साक्ष्य का सही विवेचन व मूल्याकंन किये बिना आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13–4–2006 को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–3–2003 की पुष्टि की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने 2019 RRD 449, 2017 (2) RRT 1139, 2018 (2) RRT 948, 2011 RBJ 387, 2015 RBJ 238 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने बहस में कथन किया कि रेस्पो. संवत् 2026 में शिकमी काश्तकार थे। इसलिए कानूनन धारा 19 (1)(एए) के तहत खातेदार हो चुके हैं। रेस्पो. का लम्बे समय कब्जा व इन्द्राज होने के कारण

कानूनन प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। किन्तु विचारण न्यायालय ने रिकार्ड का अवलोकन किये बिना वादी/रेस्पो. का वाद खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय था एवं जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है। अंत में उन्होंने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–4–2006 को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

6. बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया।

7. विचारण न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में 6 तनकियात कायम की एवं उन पर पक्षकारान की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य दर्ज कर उभय पक्ष की बहस सुनने के उपरांत तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 24–3–2003 द्वारा वादी/रेस्पो. का वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पो.सं.1 पोहप सिंह द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13–4–2006 द्वारा रेस्पो.सं.1 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए वादी/रेस्पो. का दावा डिक्री करते हुए वादी/रेस्पो. को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया एवं अपीलांट्स को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी पर रेस्पो./वादी का कब्जा काश्त संवत् 2017 से बदस्तूर जारी होना मानते हुए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देय होना माना एवं दावा दायरी के समय रेस्पो./वादी का कब्जा काश्त होने से दावा पोषणीय होना माना। अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर रेस्पो./वादी को खातेदारी अधिकार दिये गये है, जो विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। साथ ही वादी/रेस्पो. का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होने से धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पोषणीय नहीं था। वादी/रेस्पो. का वाद साबित नहीं होने से वे प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

8. विचारण न्यायालय द्वारा जो तनकियात कायम की गई उनमें मुख्य रूप से तनकी संख्या 1 इस आशय की थी कि– ''आया वादी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है और मौके पर काबिज है।'' इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा अपने वाद में यह कथन किया कि उसके पूर्व पुरूष तुरसनपाल द्वारा सूरजभान व गयाराम से विवादित साबिक आराजी को संवत् 2017 में शिकमी काश्त पर लिया था ऐसे में तुरसनपाल को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात को विचारण न्यायालय ने विस्तृत रूप से विवेचित करते हुए तनकी संख्या 1 के निर्णय में यह अंकित किया कि– ''नकल खसरा सं0 2016–19 प्रदर्श–पी 1 में साबिक ख0नं0 1280 / 2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा सूरजभान व ग्याराम का खुद काश्त में अंकित है तथा इसी खसरा के कालम सं0 41 में दफा 13 के तहत खातेदार अंकित करने का नोट लगा हुआ है जमाबन्दी सं0 2019–23 प्रदर्श–पी–3 एवं जमाबन्दी सं0 2023 प्रदर्श–पी–4 के अनुसार सूरजभान व ग्याराम बतौर खातेदार के रूप में अंकित है तथा तुरशनपाल सं0 2017 शिकमी के रूप में अंकित है। वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी एवं खसरा के अनुसार वादी के पूर्व पुरूष सं0 2019 से 2023 तक के रिकार्ड में सं0 2017 का शिकमी अंकित है किन्तु राज0काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के धारा 19 (1)एए के अनुसार उसको दिनांक 31 / 12 / 69 को यानि सं0 2026 में शिकमी काश्तकार होना आवश्यक था वादी द्वारा सं0 2026 का कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया। इसके अलावा प्रति0के पूर्व पुरूष को धारा 13 राज0 काश्तकारी अधि0 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे जिसका अंकन सं0 2019 में आ चुका है और वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पी0डब्लू–1 में तथा स्वयं वादी द्वारा कथन किया गया है कि विवादित आराजी हमेशा हमेशा के लिए काश्त पर ली गई थी किन्तु गवाह पी0डब्लू–2 का कथन है कि आराजी मौल खरीदी थी इस प्रकार स्वयं वादी के कथनो एवं उसकी ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में विरोधाभास है इसके अलावा राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 45 के अनुसार शिकमी का अनुबन्ध हमेशा हमेशा के लिये नहीं किया जा सकता अतः वादी विवादित आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकार नहीं होते है अतः यह तनकी विरूद्ध वादी तय की जाती है।'' विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 पर

पारित उक्त अभिमत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में पारित किया है जो पूर्णतया विधि सम्मत है।

9. इसके अतिरिक्त तनकी संख्या 2 इस आशय की थी कि –''आया वादी विकल्प में बाई एडवर्स पजेशन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है।'' इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 को निर्णित करते हुए यह अंकित किया कि– ''वादी ने अपने कथनों में विवादित साबिक नम्बर को सं0 2017 से मृतक तुरसनपाल द्वारा एवं उसके देहान्त के बाद वादी द्वारा बिना किसी हस्तक्षेप के काश्त करते चले आना कहा गया है तथा अपने कथनों में गवाह पी0डब्ल्यू–2 व पी0डब्ल्यू–3 कराये गये है उक्त दोनों ही गवाहों के बयानों में विरोधाभास है पी0डब्लू–2 कहता है कि तुरसनपाल कहता है कि तुरसनपाल ने जमीन मौल खरीदी थी वही पी0डब्लू–3 का कथन है कि तुरसनपाल ने गयाराम से जमीन ली थी बेची होगी गुपचुप में दे दी हो तो पता नहीं इस प्रकार वादी के दोनों गवाहों द्वारा वादी के प्रतिकूल कब्जे के तथ्य को किसी प्रकार से स्पष्ट नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त वादी द्वारा अपने कथनों में साबिक ख0नं0 1280/2 का रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा जिसका हाल नम्बर 2143 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा बताया गया है किन्तु प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–पी 6 के अनुसार गत नम्बर 1280 मि0 जिससे हाल नम्बर 2143 बना है उसका साबिक रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा है इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल वादी के कथनो को स्पष्ट नहीं करता अतः वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकार नहीं होते है। यह तनकी भी विरूद्ध वादी तय की जाती है।'' विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 पर पारित उक्त अभिमत भी न्यायोचित है।

10. विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 को तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन के आधार पर वादी को विवादित आराजी में खातेदारी प्राप्त करने के अधिकार नहीं होने से वादी स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं मानते हुए तनकी संख्या 3 को भी वादी के विरूद्ध तय किया है, जो उचित है।

11. तनकी संख्या 4 को निर्णित करते हुए विचारण न्यायालय ने यह अंकित किया कि–''प्रकरण में प्रस्तुत नकल खसरा सं0 2016–17 प्रदर्स पी–1 के अनुसार सूरभान व ग्याराम को धारा 13 के तहत खातेदार दर्ज किया गया है

तथा जमाबन्दी सं0 2019 प्रदर्श 3 में वह खातेदार के रूप में अंकित है इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध होता है कि सूरभान व ग्याराम को कानून के अनुसार खातेदारी प्राप्त हो चुकी थी अतः यह तनकी बहक प्रति0तय की जाती है।''

12. तनकी सं. 5 के निर्णय में विचारण न्यायालय ने यह अंकित किया कि–''घोषणात्मक वाद के लिये यह आवश्यक है कि दावा दायरी के वक्त वादी का विवादित आराजी पर कब्जा हो वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से ऐसा तथ्य स्पष्ट नहीं होता है कि वक्त दायरी वाद वादी का विवादित आराजी पर कब्जा था अतः कब्जे के अभाव में दावा वादी पोषनीय नहीं रहता है।''

13. इस प्रकार विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा वाद पत्र को सिद्ध करने में असफल रहने पर वादी के वाद को अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24–3–2003 द्वारा खारिज किया है, जो पत्रावली उपलब्ध साक्ष्य एवं विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में न्यायसंगत है।

14. हमने अपीलांट पक्ष की ओर से उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों का भी अवलोकन किया, जो निम्नानुसार है–

2019 RRD 449 में मण्डल की माननीय खण्ड पीठ ने निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है–

"Rajasthan Tenancy Act, Section 224- Trial Court dismissed suit for declaration- First appellate Court dismissed appeal against this order- Second appeal before Board- Held- No khatedari rights can claim by a person on the basis of adverse possession- Appellants are rank trespassers- Second appeal without force."

2017 (2) RRT 1139 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है–

"Code of Civil Procedure, 1908- Order 39 Rule 1 & 2- Temporary injunction- Application dismissed- Auction of plots- Petitioners are encroachers- Adverse possession- Land allocated to Municipal Council in the year 1989- Land declared to be abadi land long back- Petitioners also lost the revenue suit- No locus standi to challenge the light, title & possession of the municipal council- No provision in Tenancy Act for conferment of khatedari rights on the basis of adverse possession- Held, petition dismissed."

2011 RBJ 387 में मण्डल की माननीय पूर्ण पीठ द्वारा निम्नानुसार सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

"Adverse possession - On the basis of adverse possession no khatedari rights accrues to any person on agricultural land."

2015 RBJ 238 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है–

"Code of Civil Procedure, 1908- Order 41 Rule 31 and Section 96- It is the duty of the first appellate Court to deal with all the issues and evidence led by the parties. In this case, first appellate Court did not deal all the issue and evidence of the parties. Whereas, it is mandatory that the first appellate court should deal all the issue and evidence led by the parties. Being the First Appellate Court, It was, therefore, the duty of the High Court to decide the first appeal keeping in view the scope and powers conferred on it under Section 96 read with Order XLI Rule 31 of the Code. It was unfortunately not done, thereby, causing prejudice to appellants whose valuable right to prosecute the first appeal on facts and law was adversely affected which. In turn, deprived them of a hearing in the appeal in accordance with law."

15. उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति उभरकर सामने आती है कि रेस्पो./वादी द्वारा वाद में विरोधाभासी कथन किये गये। द्वितीय धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अवयस्क, विधवा की आराजी पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते हैं। दावा दायरी के दिन विमलादेवी वादग्रस्त आराजी की खातेदार दर्ज है ऐसी स्थिति में उसके विरूद्ध खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तृतीय प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। साथ ही वादी/रेस्पो. का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होने से धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पोषणीय नहीं था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को विस्तृत रूप से विवेचित एवं विश्लेषित कर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादी/रेस्पो. के वाद को खारिज किया है, जो उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में विधि सम्मत है एवं जिससे हम पूर्णतया सहमत हैं। किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधिक स्थिति का विधिवत रूप से विवेचन व मूल्याकंन किये बिना, कयास के आधार पर वादी/रेस्पो. का संवत् 2017 से कब्जा बदस्तूर मानकर कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादी/रेस्पो. का वाद डिक्री करते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने में विधिक त्रुटि

की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय भी पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

16. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–4–2006 निरस्त किये जाते हैं तथा उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–3–2003 बहाल रखे जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य

(रामनिवास जाट)
सदस्य